संख्या 416/चालीस-80-2-रा0स्की0-25/3/76

प्रेषक,

श्री गुलाम हुसैन जैदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उ0प्र0 के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, मण्डलायुक्त,
जिलाधिकारी, जिला जज,

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग — दिनांक : लखनऊ : जुलाई 31, 1980

विषयः- उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निगमों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सरकारी ड्यूटी पर माना जाना ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या 2949/चालीस-रा0स्की0-25/3/76, दिनांक 9-11-77 की ओर आकर्षित करते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्रदेश के ऐसे सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों जो कि उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा 1977 में सम्मिलित हो, उन्हें वित्त नियमावली खण्ड 2, भाग 2-4 के मूलर नियम 9(6) (बी) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उन्हें नियुक्ति के स्थान से परीक्षा केन्द्र तक तथा वहां से तैनाती के स्थान तक वापस आने तक की अवधि(अधिकतम तीन दिन) तक सरकारी ड्यूटी के रूप में माना जायगा ।

2- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदेश यथावत वर्ष 1977 व बाद में होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों पर भी लागू समझा जायगा ।

3- उपरोक्त ड्यूटी अवधि में उन्हें मूल नियम 20 के अनुसार वही वेतन एवं केवल मंहगाई भत्ता देय होगा, जो उन्हे अन्यथा ड्यूटी पर अनुपस्थित होने ।

4- यह आदेश वित्त(सामान्य)अनुभाग-1 की सहमति से, जो अशासकीय पत्र संख्या

---2

जी0(1)801/दस-80, दिनांक 9 जून 1980 द्वारा प्राप्त की गई सहमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय

(गुलाम हुसैन जैदी)
उप सचिव

संख्या [illegible](1)/चालीस-80-रा0स0-25/3/76 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1)- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) वित्त (सामान्य-4) अनुभाग ।

(3) वित्त (सामान्य-1) अनुभाग ।

आज्ञा से

(गुलाम हुसैन जैदी)
उप सचिव

संख्या 416[illegible](2)/चालीस-80-रा0स0-25/3/76 दिनांक उक्त

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

[illegible] अनुभाग को सूचनार्थ [illegible]

आज्ञा से

(गुलाम हुसैन जैदी)
उप सचिव